न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 145/2020 **दायर तारीख :–** 17-12-2020

1. संदीप जयपुरिया पुत्र श्री सांवरमल जयपुरिया जाति महाजन निवासी 49, गणगौरी बाजार जयपुर हाल प्लॉट नंबर 03 आनंदपुरी विस्तार ,मेडिकल सेन्टर के पास, कालवाड रोड जयपुर (राज0) **— वादी**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार विराटनगर कार्यालय तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
2. रणजीत सिंह पुत्र रधुराज सिंह
3. यज्ञनारायण सिंह पुत्र रधुराज

   जाति राजपूत निवासी पालडी तहसील विराटनगर जिला जयपुर हाल 7/445 मालवीय नगर जयपुर जिला जयपुर राज0।
4. मुन्नी देवी पत्नि आई.के.शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी–1224 बाबा हरिशचन्द शर्मा चांदपोल बाजार जयपुर जिला जयपुर राज0।

— प्रतिवादीगण

<u>दावा इस्तकरारहक घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा</u>

उपस्थित : श्री रविशंकर अग्रवाल, अधिवक्ता वादी
श्री अवधेश कुमार शर्मा, प्रतिवादी संख्या 4
एकपक्षीय कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 2 व 3
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक : 04.03.2021

1. वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम पालडी के हाल खसरा नम्बर 2/0.20, 3/0.18, 117/0.24, 118/0.19, 237/0.58, 243/765/0.09, 243/766/0.05, 244/0.03, 245/0.70, 247/0.53, 261/0.46, 262/0.44, 264/0.10 हैक्टेयर कुल किता 13 कुल रकबा 3.79 हैक्टेयर की खातेदारी में तेजकंवर बाई पुत्री लालजी राजपूत के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज संवत् 2076–2079 है। यह है कि उक्त खातेदार तेजकंवर की दिनांक 19.03.2000 को मृत्यु हो गयी, प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 तेजकंवर के पुत्रगण वारिस व उत्तराधिकारी है, जिसके बाबत सरपंच ग्राम पंचायत पालडी द्वारा कुर्सीनामा दिनांक 20.01.2009 को जारी किया गया है। यह है कि खातेदारी तेजकंवर के पुत्र प्रतिवादी संख्या 3 के वाद ग्रसत आराजी में अपने हिस्से 1/2 भाग को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.05.2007 को पंजीयन दिनांक 03.05.2007 को प्रतिवादी संख्या 4 को व प्रतिवादी संख्या 2 ने जरिये मुख्त्यारआम श्रीराम गुर्जर पुत्र गुल्लाराम गुर्जर निवासी पालडी तहसील विराटनगर अपने 1/2 हिस्से को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04.05.

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

2007 को प्रतिवादी संख्या 4 को विक्रय कर प्रतिफल राशि प्रापत कर उसका नियमानुसार विक्रय पत्र उपपंजीयक आमेर के यहां पंजीकरण करवा दिया व प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 ने विक्रय की गई भूमि पर केता प्रतिवादी संख्या 4 को कब्जा संभला दिया, इस प्रकार उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि की प्रतिवादी संख्या 4 खातेदार काश्तकार हो गई। यह है कि प्रतिवादी संख्या 4 से खरीदशुदा उपरोक्त भूमि में से हाल आराजी खसरा नंबर 237/0.58, 261/0.46, 262/0.44 कुल किता 3 कुल रकबा 1.48 हैक्टेयर ग्राम पालडी तहसील विराअनगर से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र ,दिनांक 17.10.2008 को प्रतिफल राशि अदा कर खरीद की है, जिसका प्रतिवादी संख्या 4 नियमानुसार विक्रय पत्र उपपंजीयक अधिकारी आमेर जिला जयपुर के यहां वादी के पक्ष में पंजीकरण करवाकर विक्रय की गई भूमि पर वादी का कब्जा करवा दिया, जिस पर वादी खरीद के समय से काबिज रहकर उपयोग व उपभोग करता आ रहा है व वादी हाल आराजी 237/0.58, 261/0.46, 262/0.44 कुल किता 3 कुल रकबा 1.48 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार है। वादी द्वारा खरीदी गई भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद नहीं होन के कारण वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज नहीं हुई। यह है कि वादी 237/0.58, 261/0.46, 262/0.44 कुल किता 3 कुल रकबा 1.48 हैक्टेयर ग्राम पालडी का जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदशुदा खातेदार काश्तकार है व जिसकी घोषणा करवाने व अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है। यह है कि प्रतिवादीगण आपस में मिले हुए है तथा वादी के विरूद्व एक नाजायज संगठन बना रखा है व वादी को उसकी खरीद व खातेदारी भूमि से जबरन बेदखल करना व निर्माण करवा चाहते है, जिसकी उन्होने वादी को धमकी दी हैं। यदि प्रतिवादीगण अपने मनसूबों में सफल हो गए तो वादी को अकथनीय हानि होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी धनराशि से नहीं की जा सकेगी। अतः निवेदन है कि ग्राम पालडी के हाल आराजी खसरा नंबर 237/0.58, 261/0.46, 262/0.44 कुल किता 3 कुल रकबा 1.48 हैक्टेयर का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज तेजकंवर बाई पुत्री लालजी के नाम खातेदारी समाप्त की जाकर वादी के नाम खातेदारी दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कराया जावे। साथ ही प्रतिवादीगण एवं उनके नौकर, प्रतिनिधि, एजेन्ट व स्थापन्नों आदि को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से सदैव के लिए पाबंद फरमाया जावे कि वे हाल आराजी 237/0.58, 261/0.46, 262/0.44 कुल किता 3 कुल रकबा 1.48 हैक्टेयर के कब्जे काश्त व उपयोग–उपयोग में किसी प्रकार की मजामहत पैदा नहीं करें, बल्कि वादी को उपरोक्त भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज रहकर काश्त व उसका बिना किसी बाधा के पूर्ण रूप से उपयोग व उपभोग करने दे व प्रतिवादीगण वादी को जबरन बेदखल नहीं करें न ही किसी प्रकार का कच्चा–पक्का निर्माण करें, बल्कि मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे।

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 सम्यक् तामिल अनुपस्थित

कार्यालय–उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

रहने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार उपस्थित।

3. वादी ने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमावन्दी ग्राम पालडी खाता संख्या 68 संवत् 2076–2079 **प्रदर्श–1**, नकल विकय पत्र दिनांक 04.05.2007 बहक मुन्नी देवी पत्नि आई.के.शर्मा **प्रदर्श–2–ए**, नकल विकय पत्र दिनांक 02.05.2007 बहक मुन्नी देवी पत्नि आई.के.शर्मा **प्रदर्श–3–ए**, नकल विकय पत्र बहक संदीप जयपुरिया पुत्र सांवरमल जयपुरिया **प्रदर्श–4–ए**, ग्राम पंचायत द्वारा जारी कुर्सीनामा **प्रदर्श–5–ए**, फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र तेज कंवर पत्नि रघुराज सिंह, फोटो प्रति आधार कार्ड वादी संदीप जयपुरिया आदि पेश किए है।

4. प्रतिवादी संख्या 4 के अपने जवाब दावा में कथन रहे कि हाल आराजी खसरा नंबर नम्बर 2/0.20, 3/0.18, 117/0.24, 118/0.19, 237/0.58, 243/765/0.09, 243/766/0.05, 244/0.03, 245/0.70, 247/0.53, 261/0.46, 262/0.44, 264/0.10 हैक्टेयर कुल किता 13 कुल रकबा 3.79 हैक्टेयर ग्राम पालडी के 1/2 भाग को तेजकंवर के पुत्र यज्ञनारायण से दिनांक 02.05.2007 पंजीयन 03.05.2007 को 1/2 भाग को रणजीत सिंह के मुख्त्यारआम श्रीराम गुर्जर से दिनांक 04.05.2007 को प्रतिफल राशि अदा कर जरिय रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है। तथा मुझ प्रतिवादी ने अपनी भूमि में से हाल खसरा नंबर 237, 261, 262 किता 3 कुल रकबा 1.48 हैक्टेयर ग्राम पालडी तहसील विराटनगर को प्रतिफल राशि प्राप्त कर जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र से वादी को बेचान कर कब्जा संभलाया है, जिसकी खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम किए जाने पर मुझे कोई आपत्ती नहीं है।

5. प्रकरण में साक्ष्य वादी में वादी संदीप जयपुरिया पुत्र श्री सांवरमल जयपुरिया का मुख्य परीक्षण शपथ पत्र पेश किया गया तथा बयान पंजीबद्व किए गए।

6. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष एवं पैरोकार सरकार सुनी गई।

7. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाके ग्राम पालडी के हाल 237/0.58, 261/0.46, 262/0.44 कुल किता 3 कुल रकबा 1.48 हैक्टेयर की खातेदारी तेजकंवरबाई पुत्री लालजी के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2076–2079 है। वादी की तरफ से प्रस्तुत तेजकंवर पत्नि रघुराज का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा तेज कंवर पत्नि रघुराज के कुर्सीनामा से यह साबित नहीं करता है कि वाद ग्रस्त की दर्ज रिकॉर्ड की खातेदारी तेजकंवर बाई पुत्री लालजी एवं तेजकवंर पत्नि रघुराज एक ही महिला है, जिससे यह भी साबित नहीं होता है कि ग्राम पापडी के वाद ग्रस्त खसरा नंबर की खातेदारी में दर्ज तेजकंवरबाई पुत्री लालजी की मृत्यु के उपरान्त उक्त वाद ग्रस्त की खातेदारी पर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का हक व अधिकार बनता हैं। अतः उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा वाद ग्रस्त आराजी खसरा नंबर 237/0.58, 261/0.46, 262/0.44 कुल किता 3 कुल रकबा 1.48 हैक्टेयर पर अपना हक व अधिकार अपने पक्ष में साबित नहीं करने पाने के

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

कारण वादी को खसरा नंबर 237/0.58, 261/0.46, 262/0.44 कुल किता 3 कुल रकबा 1.48 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित नहीं किया जा सकता है। अतः वादी का वाद पत्र खारिज किया जाना न्यायसंगत पाता हूँ।

आदेश

वादी का दावा इस्तकराररहक घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 04.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

कार्यालय-उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

डिकी मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)
अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम विराटनगर
बइजलास :– राजवीर सिंह यादव, आर.ए.एस.

1. संदीप जयपुरिया पुत्र श्री सांवरमल जयपुरिया जाति महाजन निवासी 49, गणगौरी बाजार जयपुर हाल प्लॉट नंबर 03 आनंदपुरी विस्तार ,मेडिकल सेन्टर के पास, कालवाड रोड जयपुर (राज0) **— वादी**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार विराटनगर कार्यालय तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
2. रणजीत सिंह पुत्र रधुराज सिंह
3. यज्ञनारायण सिंह पुत्र रधुराज
   जाति राजपूत निवासी पालडी तहसील विराटनगर जिला जयपुर हाल 7/445 नालवीय नगर जयपुर जिला जयपुर राज0।
4. मुन्नी देवी पत्नि आई.के.शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी–1224 बाबा हरिशचन्द शर्मा चांदपोल बाजार जयपुर जिला जयपुर राज0।

— प्रतिवादीगण

मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या 145/2020 **दावा इस्तकरारहक घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा** यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू **श्री रविशंकर शर्मा, अधिवक्ता वादी** व हाजरी ....मिन जानिब मुद्दई रूबरू **श्री अवधेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 4** कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया है ग्राम पालडी के हाल आराजी खसरा नंबर 237/0.58, 261/0.46, 262/0.44 कुल किता 3 कुल रकबा 1.48 हैक्टेयर का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज तेजकंवर बाई पुत्री लालजी के नान खातेदारी समाप्त की जाकर वादी के नाम खातेदारी दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कराया जावे। साथ ही प्रतिवादीगण एवं उनके नौकर, प्रतिनिधि, एजेन्ट व स्थापन्नों आदि को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से सदैव के लिए पाबंद फरमाया जावे कि वे हाल आराजी 237/0.58, 261/0.46, 262/0.44 कुल किता 3 कुल रकबा 1.48 हैक्टेयर के कब्जे काश्त व उपयोग–उपयोग में किसी प्रकार की मजामहत पैदा नहीं करें, बल्कि वादी को उपरोक्त भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज रहकर काश्त व उसका बिना किसी बाधा के पूर्ण रूप से उपयोग व उपभोग करने दे व प्रतिवादीगण वादी को जबरन बेदखल नहीं करें न ही किसी प्रकार का कच्चा–पक्का निर्माण करें, बल्कि मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे।

सुना गया। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष व पैरोकार सरकार सुनी गई। प्रकरण में पेश दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

अतः हुक्म दिया जाता है कि वादी का दावा इस्तकरारहक घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 04.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

मुबलिक ....शून्य........................... बाबत ....शून्य.................... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत ....शून्य.................. की सदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 04.03.2021** को जारी की गई।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया। फीस दर्ज करना चाहिए।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)